ORIGINAL RESEARCH PAPER

Social Science

ग्रामीण–विकास में पंचायतीराज व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन (सीधी जिले के सन्दर्भ में)

KEY WORDS:

गुलाब प्रसाद कारपेन्टर शोधार्थी, समाजशास्त्र विषय, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय (उत्कृष्टता केन्द्र) रीवा (म.प्र.)

डा0 अशोक गुप्ता सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) एस.आई.टी. कालेज सीधी (म.प्र.)

प्रस्तावना :–

विकास की अधोसंरचना में ग्रामीण विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गॉवों की उन्नति और प्रगति पर ही देश की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्रुत गति से ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है। लोकतंत्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन के कार्यो में सहयोग प्रदान करें। और अपने ऊपर शासन करने का दायित्व स्वयं निर्वहन करें, ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था ही सर्वोत्तम एवं उपयुक्त व्यवस्था है। इसे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ माना जाता है।

संविधान के 73 वें एवं 74 वें संसोधन के माध्यम से नवीन पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को अधिकार प्रदान किये गये है। 73 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1992 को भारतीय संविधान में 'नवें' भाग के अनुच्छेद 243 के रूप में समाविष्ट किया गया और संवैधानिक मान्यता दी गई। अनुच्छेद 243 में 15 उप अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज के प्रावधानों का विवरण है। 73 वॉ संविधान संसोधन 1988 में पीके0 थुगन समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति में अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। 17 राज्य विधान सभाओं कें द्वारा अनुमोदित किये जाने पर इसे राष्ट्रपति की सम्मति के लिए उनके समक्ष पेश किया गया।

राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस पर अपनी सम्मति दे दी और इसे 25 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित कर दिया गया।

गॉवों का विकास देश के विकास का मुख्य आधार होता है और यह विकास पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से ही संभव हो सकता है। क्रेन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाऐं चलाई जाती है उनका लाभ ग्रामीण जनों को इसी व्यवस्था के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो सकता है। अतः शोध अध्याय ग्रामीण विकास में पंचायतीराज व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन पर केन्द्रित है। इसके माध्यम से उन महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या की जायेगी जो ग्रामीण विकास में वाधक है तत्पश्चात इन्हे दूर करने का अथक प्रयास शोध के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

ग्रामीण विकास हेतु पंचायतीराज व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाऐं संचालित की जा रही है इन योजनाओं का ग्रामीण समुदाय को कितना लाभ प्राप्त होगा यह जानकारी अध्ययन के माध्यम से प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही इन योजनाओं के बारे में ग्रामीण जन को जागरूक करना और आनी वाली समस्याओं का पता लगाकर दूर करने के सुझाव देना शोध का महत्वपूर्ण कदम होगा।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :–

साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। प्रस्तुत शोध पग से संबंधित अनेक शोक उपाधियॉ एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पग प्रकाशित किये गये है।

1. **पवॉर, मीनाक्षी द्वारा (1993)** में ''पंचायती राज और ग्रामीण विकास का अध्ययन'' खरगोन जिला (म.प्र.) के शदर्भ में किया गया। इन्होने अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया है कि आजादी के उपरान्त एक लम्बी समय अवधि बीतने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था अपने लक्ष्यों के अनुरू-क्यों नहीं वांछित सफलता प्राप्त कर सकी है? वह कौन से कारण हैं जो इस मार्ग में बाधक बन रहे हैं।

2. **वेदी, किरण द्वारा (1996)** में ''पंचायतों के समक्ष चुनौतियों की विस्तृत विवेचना'' की का अध्ययन है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज को ग्रामीण जीवन का एक अंग मान लिया गया है, इसलिए इसके अधिकार क्षेत्र काफी बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ पंचायत सामुदायिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रही है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण सभा शासन प्रणाली को शक्तिशाली बना रही है। वर्तमान समय में पंचायतों के समक्ष विभिन्न चुनौतियॉ भी देखी जा सकती हैं। पंचायती चुनावों में जिस तरह की हत्याऐं हो रही हैं, वह लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। लोकतंत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, वह पंचायती राज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुख बाधा है। इसी के परिणामस्वरूप इस भ्रष्ट्रतंत्र में पंचायती राज अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अतः आवश्यकता है कि जनता पंचायती राज के क्रियाकलापों और विकास के कार्यो को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करे तभी इसका लाभ जनता को वास्तविक रूप में प्राप्त हो सकेगा।

3. **गॉगराडे, के. डी. द्वारा (1996)** में, '' पंचायती राज वास्तव में गॉव की स्वाधीनता एवं समृद्धि का आधार है। पंचायती राजस्वव्यस्था ने राजनीति को ग्राम स्तर तक ला दिया है और शासनतंत्र को अधिक बोधगम्य बना दिया है। पंचायतों के प्रति नेता एवं अनुयायियों के विचारों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हुआ है कि समग्र के अधिकांश सूचना दाता यह स्वीकार करते हैं कि संगनात्मक दृष्टि से पंचायतें वर्गीय प्रभावों से दूर हैं। इसके साथ ही अधिकांश सूचनादाताओं के विचार से पंचायतों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं तथा वे अपने उत्तरदायित्व को निभाने एवं समाज कल्याण के कार्यो को कराने में सफल भी हो रही हैं। आप पंचायतों की कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र को और विस्तृत करने हेतु पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय तथा न्याय सम्बन्धी अधिकारों को और अधिक बढ़ाने के पक्षधर हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र उपरोक्त साहित्यों से पूर्णतः अलग है अध्ययन क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण विकास में पंचायतीराज व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन पर अभी तक किसी ने शोध कार्य नहीं किया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः मौलिक एवं नवीन है।

शोध विधितंत्र :–

शोध कर्म इस परिकल्पना पर आधारित है कि ग्रामीण विकास में पंचायतीराज व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन कर समस्याओं का निराकरण संभव है। कार्य की प्रकृति की सत्यता क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़ो से संकलन व विश्लेषण पर निर्भर है। अतः निम्नांकित शोध विधियों का अध्ययन में प्रयोग किया जायेगा :–

(1) क्षेत्रीय सर्वेक्षण (2) समंक–प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक (3) वर्गीकरण एवं सारणीयन (4) सूचकांक (5) अन्य सांख्यिकीय तकनीके (6) व्यक्तिगत साक्षात्कार (7) अप्रत्यक्ष सूचना संग्रहण (8) अनुभाविक स्त्रोत आदि प्राविधि के अन्तर्गत संबंधित चरों की व्याख्या व उनके प्रकार्यात्मक अध्ययन का प्रक्रम कठोरतम मापदण्ड पर नियंत्रित, सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित किया गया है। प्राविधि द्वारा सामान्य घटनाओं की व्याख्या पूर्वक की गयी है। शोध अध्ययन की प्रकृति मूलतः अनुभाविक है।

अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय :–

सीधी जिला मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर–पूर्वी किनारे पर स्थित है। प्राकृतिक संम्पदा से भरपूर जिले की महत्वपूर्ण नदी सोन है। अध्ययन क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। सीधी जिला 23 47' और 24 42' उत्तरी अक्षांस तथा 81 18' और 82 49' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। जिले के पूर्व में सिंगरौली जिला, दक्षिण में शहडोल जिला एवं छत्तीसगढ़ राज्य, पश्चिम में सतना जिला, उत्तर में रीवा जिला स्थित है। वर्तमान में जिले में 7 तहसीलें तथा 5 विकासखण्ड हैं। जिले के योजनाबद्ध विकास हेतु तीन नगर पंचायतें एवं एक नगर पालिका सीधी में स्थित है।

संपूर्ण जिला कैमोर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है यह पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर समानान्तर पूरे जिले में फैली है। मोटे तौर पर सम्पूर्ण जिला पहाड़ी तथा वन क्षेत्र के कारण हरा–भरा है। जबकि भैगोलिक स्थिति के अनुसार जिले को तीन भागो–उत्तर का पहाड़ी भाग, सोन नदी घाटी, मझौली तथा मड़वास के पठारी व पहाड़ी भाग में विभक्त है। सीधी जिला रीवा संभाग के 4 जिलों में से एक है। जिले का कुल क्षेत्रफल 44717.75 वर्ग कि.मी. है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1126515 है। जिले में कुल 400 ग्राम पंचायतें है इन ग्राम पंचायतों का गठन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है।

पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति :–

ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1– कृषि	1– लघु उद्योग	1– व्यापारी वर्ग
2– वानिकी	2– कुटीर उद्योग	2– कारीगर
3– वागवानी	3– ग्रामीण उद्योग	
4– डेयरी		
5– मत्स्य पालन आदि		

अध्ययन क्षेत्रान्तर्गत पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति का अध्ययन निम्नानुसार किया जा सकता है –

1– आधारभूत संचरना की स्थिति

2– उत्पादक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति

आधारभूत सुविधाओं का विकास :–

आधारभूत सुविधायें	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
सिंचाई (नहर) ट्यूबवेल	114 2300	114 2463	112 3940	112 4804	111 4804
सड़के	886	886	886	886	1012
पेय जल व्यवस्था (हैंडपम्प) लाभान्वित ग्राम	658	800	950	990	1000
विद्युतीकरण (विद्युतीकृत ग्राम)	1013	1023	1023	1023	1023
साक्षरता प्रतिशत में	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3
शैक्षणिक संस्थाए	2580	3059	2737	2173	2564
चिकित्सा व्यवस्था	685	791	732	732	732

स्त्रोत– जिला सांख्यिकी कार्यालय सीधी से प्राप्त आकड़े।

उत्पादक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति :–

उद्योगों की संख्या एवं नियोजन

वर्ष/जिला/तहसील/विकासखण्ड	कुल स्थापित उद्योग		
	संख्या	नियोजित व्यक्ति	नियोजन (लाख रूपये के)
2014–15	506	1167	331.94
2015–16	353	785	157.81
2016–17	353	785	157.81
2017–18	351	877	408.41

2018–19	349	1045	469.25
तहसील–गोपदबनास	89	265	119.26
चुरहट	30	90	40.20
रामपुर नैकिन	45	135	60.3
मझौली	55	165	73.7
कुशमी	50	150	67
सिहावल	80	240	108.79

स्त्रोत– जिला सांख्यिकी कार्यालय सीधी से प्राप्त आकड़े।

पंचायती राज व्यवस्था में समस्याएँ एवं सुझाव :–

पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया किन्तु उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समीक्षा करने पर स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गॉधी का संबोधन इन महत्वपूर्ण शब्दों में था – ''गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा आवंटित किये गये छः रूपये में से मात्र 1 रूपया ही संबन्धित व्यक्ति तक पहुँचता है एवं शेष राशि उन बिचौलियों द्वारा हॉथिया ली जाती है जो गरीबों की सहायता के लिए आधारभूत ढ़ॉचे की व्यवस्था करने का स्वांग रचा रहे है। या उनकी मदद का दम भरते है। ग्रामीण विकास में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएँ ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण निर्धनता का विराट रूप , कृषिगत विकास की समस्याएँ, औद्योगिक विकास की समस्याएँ, विज्ञान एवं तकनीकी का अभाव, निरक्षरता की समस्या, विपणन की समस्या, ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्या, संचार सेवाओं की कमी एवं वित्तीय समस्याएँ प्रमुख है।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में अनेक समस्याएँ ग्रामीण विकास के मार्ग में बाधक है। इन समस्याओं में बिजली, सिंचाई, संसाधनों के विदोहन से संबंधित समस्याएँ एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्या ग्रामीण विकास के मार्ग में अवरोधक है।

सुझाव :–

सीधी जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के विकास के साथ ही ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गये कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं उनका लाभ ग्रामीण जन तक पहुँचाने की दृष्टि से आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को कम करना महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। इस हेतु जहॉ एक ओर धनी वर्ग के ऊपर करारोपणकिया जाय तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की जानी आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण सामाजिक सेवाओं जैसे :– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकास तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष :–

यद्यपि ग्रामीण विकास में पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्रामीण विकास को एक नया आयाम देने में कारगर सिद्ध हुई है तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ ग्रामीण विकास को पूर्णता प्रदान करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पायी है। पंचायतीराज व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों क्षेत्रों की समस्याओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर देखने को मिला है जैसे – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जनसंख्या के दबाब में कली एवं लोगो में बेरोजगारी के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन अवश्य दृष्टिगत हुआ है फिर भी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ हितग्राहियों को अभी भी प्राप्त नहीं हो पाया है। शासन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक आर्थिक एवं अन्य महत्वपूर्ण दायित्यों को पूर्ण करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीणों में जागरूकता लाने के सफल प्रयास किये जा रहे है।

ग्रामीण विकास की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के सफल संचालन में कुछ परेशानियॉ अवश्य उत्पन्न हो रही है किन्तु यह व्यवस्था ग्रामीण विकास को एक मजबूत आधार प्रदान करने में अवश्य सहायक सिद्ध हुई है। आवश्यकतानुसार पंचायतीराज व्यवस्था का अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलो में सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। और यह व्यवस्था ग्रामीण विकास एवं समाज के भावी निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. लुईस, आस्कर (1959), ''विपेज लाइफ इन नॉर्दन इण्डिया'', यूनिवर्सिटी आफ इलिनियस प्रैस, डरबाना
2. देसाई, ए0आ0 (1961), ''रूरल इण्डिया इन ट्रान्जीशन'', पॉपूलर बुक डिपो, बाम्बे
3. गुप्ता, गिर्राज (1993), ''रूरल स्ट्रक्चर इन ए विपेज इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान'', अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, यूनीवर्सिटीआफ राजस्थान, जयपुर, पृ0 73–76
4. पँवार, मीनाक्षी (1993), ''पंचायती राज का संगठन एवं कार्यप्रणाली'', क्लासीकल पब्लिसिंग कम्पनी, नई दिल्ली
5. महीपाल (2004), ''पंचायती राज'' नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया
6. डा0 श्रीवास्तव (1994), ''भारत में पंचायती राज'' रावत पब्लिसर्स जयपुर
7. मालवीय ए0डी0 (1956), ''विलेज पंचायत इन इण्डिया'' अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी नई दिल्ली
8. अवस्थी एण्ड महेश्वरी (2006), ''स्थानीय प्रशासन'' रामलाल एण्ड सन्स प्रकाशन इन्दौर (म.प्र.)
9. भारत प्रकाशन विभाग (2007), ''भारत'' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय